The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1875 !

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 16, 2014/भाद्र 25, 1936

No. 1875]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 16, 2014/BHADARA 25, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2014

का. आ. 2393(अ). — केन्द्र सरकार राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए 16 सितम्बर, 2014 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 के उपबंध लाग होंगे।

[फा. सं. 5/4/2010-आईपीआर-V खंड. III]

डी. वी. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2014

S.O. 2393(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the National Institute of Design Act, 2014(18 of 2014), the Central Government hereby appoints the 16th day of September, 2014, as the date on which all the provisions of the National Institute of Design Act, 2014 shall come into force.

[F. No. 5/4/2010-IPR-V-Vol. III]

D. V. PRASAD, Jt. Secy.